न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 01/2016/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद हुसैन पुत्र युसुफ खां ग्राम बैसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय दिनांकः–31.12.2019

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2016 को श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र युसुफ खां ग्राम बैसवा तहसील फतेहपुर की जांच की गई। जांच के दौरान श्री मौहम्मद हुसैन पुत्र युसुफ खां के पास 25 लीटर पेट्रोल मय जरिकेन पाया गया। मौके पर पकड़ा हुआ 25 लीटर पेट्रोल को कय विकय करने हेतु कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। मौके पर श्री माणक चंद पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी हरसावा हाल राशन डीलर ग्राम पंचायत हरसावा को बुलवाकर 25 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक की जरिकेन सुपुर्दगी में दी गई। सुपुर्दगार को मौके पर पाबन्द किया गया कि जब भी राज्य सरकार मांग करे तब उक्त पेट्रोल को पेश करूंगा। चूंकि पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है तथा पेट्रोल की प्रकृति क्षीणय होने के कारण शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा पेट्रोल को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थी ने नोटिस लेने से इन्कार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 इसीएक्ट 1955 के तहत जब्तशुदा पेट्रोल से सम्बंधित है। पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ होने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है कि शिकायत के आधार पर ग्राम पंचायत बेसवा तहसील फतेहपुर में मोहम्मद हुसैन पुत्र युसुफ खां निवासी बैसवा में उपरली कोटड़ी में किराये की दुकान में तलाशी लेने पर मौके पर एक प्लास्टिक की केन में 25 लीटर पेट्रोल रखा हुआ पाया गया। मौके पर श्री मोहम्मद हुसैन से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त पेट्रोल मैं पेट्रोल पम्प से लाता हूं, उससे एक रूपया या दो रूपया ज्यादा लेकर खुदरा विकेताओं को बेचता हूं। मौके पर श्री हुसैन ने उक्त पेट्रोल कय किये जाने व अन्य कागजात मांगने पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। श्री हुसैन उक्त पेट्रोल कय विकय नहीं कर सकता है। अतः पेट्रोल मय जरिकेन को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर श्री माणक चंद पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी हरसावा हाल राशन डीलर ग्राम पंचायत हरसावा को सुपुर्दगी में दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन करने पर अप्रार्थी की और से उक्त जब्तशुदा पेट्रोल के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश

नहीं किया गया एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। अतः ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त उक्त जब्त शुदा पेट्रोल मात्रा 25 लीटर मय प्लास्टिक की जरिकेन का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर